Estd. 1987 Regd. No. Ajm. 74 (88-89)

राजस्थान गणित परिषद्

संविधान

(दिनांक 19 जनवरी, 2009 की साधारण सभा द्वारा किये गये संशोधनों सहित)

पंजीकृत प्रधान कार्यालय

गणित विभाग

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर - 305 001 (राज.)

राजस्थान गणित परिषद्

गणित विभाग, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

संविधान

1. परिषद् का नाम *'राजस्थान गणित परिषद्'* होगा।
2. परिषद् का मुख्य कार्यालय महासचिव के पद स्थापन के स्थान पर होगा।
   पंजीकृत कार्यालय गणित विभाग, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में होगा।
3. परिषद् का उद्देश्य गणित के पठन - पाठन, शोध को प्रोत्साहित करना होगा।
4. परिषद् के उद्देश्य में रूचि रखने वाले सभी व्यक्ति परिषद् के सदस्य होने के पात्र होंगे परन्तु सदस्यता परिषद् की कार्यकारिणी द्वारा ही प्रदान की जा सकेगी। दिनांक 20-21 फरवरी, 1987 के प्रथम सम्मेलन तक सदस्यता शुल्क जमा करवाने वाले सभी व्यक्ति परिषद् के प्रारम्भ से ही सदस्य होंगे।
5. परिषद् के सदस्यों को ऐसे शुल्क जमा करवाने होंगे जो समय - समय पर परिषद् की साधारण सभा द्वारा निर्धारित किये जावे। **वार्षिक सदस्यता शुल्क रुपये 100** (रुपये सौ मात्र) होगा, जो प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को देय होगा तथा **आजीवन सदस्यता शुल्क रु 1000** (रुपये एक हजार मात्र) होगा। शुल्क जमा नहीं करवाने पर सदस्यता स्वत: समाप्त हो जायेगी। परन्तु पुरानी देयता जमा करवाकर सदस्यता का नवीनीकरण करवाया जा सकेगा।
6. परिषद् का संचालन एवं प्रबन्ध एक कार्यकारिणी द्वारा किया जावेगा जो निम्नलिखित पदाधिकारियों की बनी होगी -

(1) अध्यक्ष	1	(2) गत वर्ष का अध्यक्ष	1, यदि हो तो
(3) महासचिव	1	(4) गत वर्ष का महासचिव	1, यदि हो तो
(5) कोषाध्यक्ष	1	(6) संपादक	1
(7) सहसचिव	1	(8) कार्यकारिणी सदस्य	9

7. (1) पदाधिकारियों का चुनाव परिषद् की साधारण सभा की बैठक में राजस्थानी आजीवन तथा सामान्य सदस्यों में से किया जायेगा, जिन्होंने परिषद् के **विगत अंतिम चार में से कम से कम दो** अधिवेशनों में विधिवत् रुप से भाग लिया हो।
   (2) चुनाव साधारण एवं सरल बहुमत के आधार पर किया जायेगा।
   (3) मताधिकार आजीवन सदस्यों को तथा ऐसे राजस्थानी सदस्यों को ही प्राप्त होगा जिन्होंने अधिवेशन के प्रथम दिन से पन्द्रह दिन पूर्व तक सदस्यता ग्रहण कर ली हो।
   (4) राजस्थानी सदस्यों का तात्पर्य उन सदस्यों से है जो राजस्थान के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अथवा पंजीकृत शोध छात्र है।
8. पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्न प्रकार होगा :

(1)**अध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव** का कार्यकाल **एक वर्ष** का होगा।

(2)**कोषाध्यक्ष** तथा **सम्पादक** का कार्यकाल **तीन वर्ष** का होगा।

(3)कार्यकारिणी सदस्यों का कार्यकाल **तीन वर्ष** होगा, परन्तु प्रथम अधिवेशन में चुनाव के समय ही यह निश्चित् कर दिया जावेगा कि चुने गये 9 सदस्यों में से किन सदस्यों का कार्यकाल **एक वर्ष** होगा तथा किन तीन सदस्यों का कार्यकाल **दो वर्ष** होगा।

(4)पदाधिकारियों के कार्यकाल के प्रसंग में एक वर्ष का अर्थ परिषद की साधारण सभा के दो सामान्य अधिवेशनों के बीच की अवधि होगा, जो सामान्यत: 8 से 15 माह तक हो सकती है।

(5)परिषद् का कोई भी सदस्य **अध्यक्ष अथवा महासचिव पद पर दो कार्यकाल से अधिक निरन्तर नहीं** रह सकेगा।

9. कार्यकारिणी एवं परिषद् की साधारण सभा की बैठकों का संचालन **उपनियमों (बाईलाज)** के अनुसार किया जायेगा।

10. कार्यकारिणी के निम्नलिखित कार्य होंगे –

(1)नये सदस्य स्वीकार करना।

(2)अस्थायी सदस्यता का प्रावधान करना, छात्र सदस्य, अधिवेशन सदस्य आदि तथा उनके द्वारा देय शुल्क निर्धारित करना।

(3)**मानद सदस्यता** प्रदान करना।

(4)कार्यकारिणी एवं परिषद् की साधारण सभा की बैठकों के संचालन के लिए तथा इन संविधान में उल्लैखित विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर नियम (बाईलाज बनाना)।

(5)सम्पादक मण्डल का गठन करना।

(6)परिषद का वार्षिक बजट स्वीकृत करना तथा आय व्यय के विवरण पर विचार/जॉच करना /करवाना तथा स्वीकृत करना तथा प्रसारित करना।

(7)अंकेक्षक नियुक्त करना तथा अंकेक्षण से प्राप्त प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करना।

(8)परिषद् के उद्देश्यों के अनुरुप भेंट, अभिदान, वित्तीय सहायता स्वीकार करना।

(9)परिषद् की सम्पत्ति प्राप्त करना, धारण करना, निवेश व उपयोग करना तथा निपटारा कराना।

(10) परिषद् की गतिविधियों के संचालन एवं प्रबंधन के सम्बन्ध में अन्य सब निर्णय लेना तथा कार्य करना।

(11) परिषद् के कार्य करने के लिए कर्मचारी नियुक्त करने की स्वीकृति एवं अधिकार प्रदान करना।

(12) पदाधिकारियों में कार्य को विभाजित करना तथा कर्त्तव्यों एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन (डेलीगेशन) करना।

(13) आकस्मिक रिक्तिया होने पर परिषद् के आगामी सामान्य अधिवेशन तक के शेष काल

के लिए अध्यक्ष, महासविच, कोषाध्यक्ष या सम्पादक का चुनाव करना।

(14) यदि उचित समझे तो कार्यकारिणी में **दो सदस्यों का सहवरण** करना।

11. परिषद् की साधारण सभा की बैठक कम से कम एक माह की अग्रिम सूचना देकर राजस्थान के ऐसे स्थान पर बुलाई जावेगी जैसा कार्यकारिणी अथवा अध्यक्ष व महासचिव निश्चित करें। परिषद् के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित मांग करने पर भी सदस्य/महासचिव को एक माह की सूचना देकर साधारण सभा की विशेष बैठक मांग पत्र में उल्लेखित स्थान पर बुलानी होगी। **साधारण सभा** की बैठक के लिए **गणपूर्ति (कोरम) 1/3** होगी तथा **कार्यकारिणी** की बैठक के लिए **गणपूर्ति (कोरम) 1/2** होगी।

12. परिषद् की साधारण सभा की बैठक में निर्णय सामान्य बहुमत के आधार पर लिये जावेंगे परन्तु संविधान तथा उपनियमों (बाईलाज) में संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों का **दो तिहाई** बहुमत आवश्यक होगा जो परिषद् की कुल सदस्य संख्या के पांचवे भाग से कम न हो।

13. यदि कार्यकारिणी परिषद् की साधारण सभा के किसी निर्णय से सहमत न हो तो कार्यकारिणी के निर्देश पर महासचिव दो माह की अवधि में उस विषय पर परिषद् के सभी सदस्यों को डाक द्वारा मत देने के लिए अनुरोध कर सकेंगे इस अनुरोध पर जितने भी सदस्य मत भेजे उनके आधार पर बहुमत का निर्णय अंतिम रुप से उसी प्रकार मान्य होगा जैसा साधारण सभा की बैठक में लिये गये निर्णय होते हैं।

14. कार्यकारिणी ऐसे विषयों पर, जिन्हें वह परिषद् की आगामी सामान्यक बैठक तक स्थगित करना उचित नहीं समझती हो, परिषद् के सदस्यों का मत डाक द्वारा प्राप्त कर सकेगी। यदि दो सामान्य बैठकों के बीच का अन्तराल पन्द्रह माह से अधिक हो जाये/होने की सम्भावना हो तो अध्यक्ष, महासचिव व सहसचिव का चुनाव भी डाक से मत प्राप्त कर करना होगा।

15. परिषद् समान उद्देश्य रखने वाली राष्ट्रीय स्तर की अथवा राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों की परिषदों / सोसायटी / ऐसोसियेशन आदि से अपनी साधारण सभा की सहमति से (जैसी संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है) विशेष सम्बन्ध स्थापित कर सकती है अथवा उससे समाहित होने का निर्णय ले सकती है।

16. परिषद् अपनी साधारण सभा के निर्णय (जैसा संविधान संशोधन के लिए आवश्यक हो) से स्वयं को समाप्त (लिक्विडेट) कर सकती है, जिस स्थिति में परिषद की देयता को निपटाने के बाद बची सम्पत्ति राजकीय महाविद्यालय, अजमेर के गणित विभाग को स्वत: स्थानान्तरित हो जावेगी।